

बिहार सरकार  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफ़ाक अहमद फ़ैज़ी  
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-

विषय:- बिहार उर्दू अकादमी, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायता अनुदान गैर वेतन मद में ₹83,16,000/- (तेरासी लाख सोलह हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार ने बिहार उर्दू अकादमी, पटना को उर्दू के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे उर्दू लेखकों, कवियों के पांडुलिपियों का प्रकाशन, प्रकाशित पुस्तकों पर अनुदान, सेमिनार एवं मुशायरा का संचालन तथा अन्य संस्थागत कार्यों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान गैर-वेतन मद में ₹2,52,00,000/- (दो करोड़ बावन लाख रुपये मात्र) रुपये मात्र का बजटीय उपबंध किया गया है। बिहार उर्दू अकादमी को सहायक अनुदान गैर वेतन मद (31 06) में ₹83,16,000/- (तेरासी लाख सोलह हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-004-अनुसंधान, उप शीर्ष-0010-उर्दू अकादमी, विपत्र कोड-30-2202800040010, विस्तृत शीर्ष-31 विषय शीर्ष-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद मतदेय के अन्तर्गत होगा।

3. अनुदान की राशि ₹83,16,000/- (तेरासी लाख सोलह हजार रुपये) मात्र की निकासी प्रपत्र BTC-42 के माध्यम से उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी, जिसे CFMS के माध्यम से बिहार उर्दू अकादमी, पटना के खाता संख्या - 440810100006014 एवं Ifsc Code- BKID0004408 में उपलब्ध करायेंगे।

4. सहायक अनुदान गैर वेतन मद की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की निर्गत तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। अतः बिहार उर्दू अकादमी अनुदान की राशि का व्यय होने पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगा, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सके।

5. स्वीकृत अनुदान की राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

6. अकादमी के अनुदान की राशि का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा कराया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक-7355(वि०) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना को प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक-4989/वि०(2) दिनांक-16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में अपेक्षित होगा।

9. उपरोक्त में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-अ०सं०क०-05-उर्दू-04/2026 के पृष्ठ-07/टि० पर एवं माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-05-उर्दू-04/2026...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-05-उर्दू-04/2026...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-05-उर्दू-04/2026...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग(बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-05-उर्दू-04/2026.....<sup>104</sup>...../ पटना, दिनांक-.....<sup>25/05/26</sup>

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/ बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई० टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक <sup>25/5</sup>